न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 08/2016

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थी

बनाम्

1. चन्द्रभाण पुत्र श्री रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी ढाणी खोखरान तहसील भादरा।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के अन्तर्गत उपखण्डाधिकारी भादरा द्वारा निर्णय दिनांक 11.03.03 को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः— पेरोकार राज, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कुलदीप खुडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः— 17.03.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

1. अप्रार्थी चन्द्रभाण पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी ढाणीखोखरान के ख0न0 117/2 मी की 10 बीघा भूमि उपखण्डाधिकारी भादरा द्वारा मिसल न0 11 निर्णय दिनांक 11.03.03 को किया गया आवंटन तथ्यों को छुपाकर किया गया है कपट पूर्व एवं विधि विरूद्ध किया गया है।
2. आवंटी के सदस्यों की कुल भूमि की जांच नही की गई है।
3. अप्रार्थी आवंटी गलत तथ्य पेश कर बदनियत पर भूमि का आवंटन कराया है।
4. आवंटन शुदा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2055 मे गैर मुमकिन गोचर भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिस पर कुछ हिस्सा में वन विभाग द्वारा पेड़ लगा रखें है तथा शेष सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है।
5. कुछ लोगो द्वारा सरपंच से साजबाज कर कपटपूर्वक तरीके से "प्रशासन गांव के संग 2001" में प्रभारी अधिकारी सहायक कलक्टर भादरा द्वारा गोचर भूमि को षड़यन्त्र पूर्वक बिना अधिकार के दिनांक 10.01.2002 को सिवाय चक दर्ज कर लिया तथा उसके पश्चात उसी व्यक्तियों द्वारा समस्त तथ्ये छुपाये जाकर अवैध

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तरीके से पृथक पृथक पत्रावलिया कायम कराई जाकर आवंटन करा लिया जो विधि विरूद्ध व खारीज योग्य है।

इस प्रकार आवंटी आवंटन नियमों की शर्ते पूरी नहीं करता है राजस्थान टिन्टेंसी एक्ट की धारा 16 के तहत गोचरभूमि, नदी, तल या तालाब तथा किसी सार्वजनिक हित के कार्य की भूमि को आवंटन अथवा खातेदारी अधिकार दिया जाना नियम विरूद्ध है। भू राजस्व अधिनियम भूमि आवंटन नियम 1963 के तहत आवंटित भूमि जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते वह आवंटन नही की जा सकती यदि ऐसा आवंटन किया गया है तो वह काबिल खारीज है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि बिन्दु संख्या एक में वर्णित आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा (कैम्प प्रशासन गांव के संग अभियान नांगल 2001) द्वारा अपने पत्रांक/कैम्प/02/94 दिनांक 10.01.2002 से रोही मौजा ढाणी खोखरान के खसरा नम्बर 26 की 3.18, 117/2 की 229.06, 119 की 159.17, 120 की 134.00, 122/2 की 3.02, 131 की 6.04, 132 की 135.18, 133 की 25.08, 134 की 58.05 कुल 755.18 बीघा गै.मु. गोचर से मुताबिक ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार सिवाय चक काबिल काश्त भूमि घोषित कर दी गई, जबकि गैर मुमकिन गौचर भूमि को सिवाय चक घोषित करने का सहायक कलक्टर को कोई अधिकार नहीं है। अतः यह बिना अधिकारिता के आदेश जारी किया गया है एवं इस आदेश के द्वारा सिवाय चक घोषित की गई भूमि में से खसरा नम्बर 117/2 मी की 10 बीघा भूमि मिसल नम्बर 11 निर्णय दिनांक 11.03.03 द्वारा चन्द्रभाण पुत्र श्री रामस्वरूप को आवंटित कर दी गई। जो विधि विरूद्ध होने से एवं उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के अन्तर्गत खारीज योग्य होने से खारीज किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

17/03/2020

(नारायण सिंह ...)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर, हनुमानगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)